



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052026-272246
CG-DL-E-05052026-272246

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2117]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2026/वैशाख 15, 1948

No. 2117]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2026/VAISAKHA 15, 1948

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आईपीएचडब्ल्यू प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2026

विषय: "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल आवश्यक) पंजीकरण की आवश्यकताआदेश (, 2021" में संशोधन

का.आ. 2204(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का यह मत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एतद्वारा "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (आवश्यक पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करता है":

"इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल आवश्यक) पंजीकरण की आवश्यकताआदेश (, 2021 की अनुसूची में क्रम संख्या 50 के कॉलम 2 में प्रविष्टि को "स्टैंडअलोन हार्ड डिस्क ड्राइव" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

क्र सं .	माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
50.	स्टैंडअलोन हार्ड डिस्क ड्राइव	आईएस 13252: भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा भाग 1 सामान्य आवश्यकताएं

2. यूएसबी प्रकार की बाहरी हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए आवश्यकताएँ मौजूदा अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित की जाएंगी। अन्य सभी स्टैंडअलोन हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए, "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (आवश्यक पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021" के प्रावधान 5 नवंबर 2026 से लागू होंगे।

[फ़ा. सं. डब्ल्यू-47/20/2023-आईपीएचडब्ल्यूएमईआईटीवाई-]

आशा नांगिया, वैज्ञानिक 'जी'

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में एसओ संख्या 1248 (ई) दिनांक 18 मार्च, 2021 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में एसओ संख्या 1353 (ई) दिनांक 25 मार्च, 2021, एसओ 2844 (ई) दिनांक 01 जुलाई, 2021, एसओ संख्या 1929 (ई) दिनांक 26 अप्रैल, 2023, एसओ संख्या 1652 (ई) दिनांक 9 अप्रैल, 2024, एसओ संख्या 4378(ई) दिनांक 9 अक्टूबर, 2024, एसओ संख्या 1363 (ई) दिनांक 20 मार्च, 2025, एसओ 4362 (ई) दिनांक 22 सितंबर, 2025, एसओ 4997 (ई) दिनांक 29 अक्टूबर, 2025, एसओ संख्या 352 (ई) दिनांक 22 जनवरी, 2026 और एसओ संख्या 1246 (अ) दिनांक 10 मार्च, 2026 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2026

Subject: Amendment to the “Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021”

S.O. 2204(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016, (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendments to the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2021”:

The entry at Column 2 of S. No. 50 in the Schedule of the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2021 shall be substituted as “Standalone Hard Disk Drives”

S. No	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
50.	Standalone Hard Disk Drives	IS 13252: Part 1: 2010	Information technology equipment - safety part 1 general requirements

2. The requirements for USB Type External Hard Disk Drives shall continue to be governed as per the existing notified provisions. For all other standalone HDDs, the provisions of the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2021” shall apply with effect from 5th November.

[F. No. W-47/20/2023-IPHW-MeitY]

ASHA NANGIA, Scientist ‘G’

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 1248(E) dated the 18th March, 2021 and subsequently amended vide S.O. No 1353(E) dated 25th March, 2021, S.O. 2844(E) dated 01st July, 2021, S.O. No 1929(E) dated 26th April, 2023, S.O. No 1652(E) dated 9th April, 2024, S.O. No 4378(E) dated 9th October, 2024, S.O. No 1363(E) dated 20th March, 2025, S.O. 4362(E) dated 22nd September 2025, S.O. 4997(E) dated 29th October 2025, S.O. No 352(E) dated 22th January, 2026 and S.O. No 1246 (E) dated 10th March, 2026.